सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 पौष, 1940 (श०)

संख्या- 29 राँची, मंगलवार, 15 जनवरी, 2019 (ई०)

योजना सह वित्त विभाग

(वित्त प्रभाग)

संकल्प

8 नवम्बर, 2018

विषय:- सरकारी कर्मचारियों को गलत निर्धारण के फलस्वरूप वेतन एवं विभिन्न भत्तों के रूप में अधिक किए गए भुगतान की वसूली के संबंध में।

संख्या:- 9/पें.(6)-06/2018-151/वि.-- समय-समय पर ऐसे दृष्टांत सामने आते हैं, जहाँ राज्य सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अनुमान्यता से अधिक वेतन तथा भत्ते प्राप्त कर लिए जाते हैं तथा यह त्रुटि संज्ञान में आने पर भुगतान की गई अधिक राशि की वसूली की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । अर्हत्ता के बिना वरीय पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप वेतनमान, ACP/MACP तथा वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त करने के फलस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है । अगर ऐसा कोई भी लाभ प्राप्त करने में संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा तथ्यों को छुपाने/तोड़-मरोड़ कर पेश करने अथवा कोई Fraud or Misrepresentation करने की कार्रवाई की गई है, तो ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी से राशि की वसूली करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए । परन्तु, अगर ऐसा लाभ प्राप्त करने में संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी की कोई सहभागिता नहीं है तथा उसके द्वारा कोई Fraud or Misrepresentation

का सहारा नहीं लिया गया है, तो उससे राशि की वसूली हो सकेगी या नहीं, इस विषय पर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, जिसका समाधान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के द्वारा किया गया है।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ब्पअपस ।Civil Appeal No.11527/2014,State of Punjab and Others Vs. Rafiq Masih (White Washer) आदि के मामले में दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 को न्यायादेश पारित कर यह स्पष्ट किया गया है कि अतिरिक्त भुगतान की राशि की वसूली नहीं करने का दावा केवल इस आधार पर सही नहीं ठहराया जा सकता है कि त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण में संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी की कोई सहभागिता नहीं है, अथवा उनके द्वारा ऐसा लाभ प्राप्त करने में किसी Fraud or Misrepresentation का सहारा नहीं लिया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा परित आदेश की कंडिका-6 तथा 7 निम्नवत् है:-

"In view of the conclusion extracted hereinabove, it will be our endeavour, to lay down the parameters of fact situations, wherein employees, who are beneficiaries of wrongful monetary gains at the hands of the employer, may not be compelled to refund the same. In our considered view, the instant benefit cannot extend to an employee merely on account of the fact, that he was not an accessory to the mistake committed by the employer; or merely because the employee did not furnish any factually incorrect information, on the basis whereof the employer committed the mistake of paying the employee more than what was rightfully due to him; or for that matter, merely because the excessive payment was made to the employee, in absence of any fraud or misrepresentation at the behest of the employee".

"Having examined a number of judgments rendered by this Court, we are of the view, that orders passed by the employer seeking recovery of monetary benefits wrongly extended to employees, can only be interfered with, in cases where such recovery would result in a hardship of a nature, which would far outweigh, the equitable balance of the employer's right to recover. In other words, interference would be called for, only in such cases where, it would be iniquitous to recover the payment made…."

3. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त न्यायादेश की कंडिका-12 में उन पांच परिस्थितियों का उल्लेख किया है, जिनमें राशि की वसूली नहीं की जा सकेगी। कंडिका-12 निम्नवत है:-

"It is not possible to postulate all situations of hardship, which would govern employees on the issue of recovery, where payments have mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement. Be that as it may, based on the decisions referred to herein above, we may, as a ready reference, summarize the following few situations, wherein recoveries by the employers, would be impermissible in law:"

(i) Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group 'C' and Group 'D' service).

(ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.

(iii) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.

(iv) Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.

(v) In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee, would be iniquitous of harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover.

4. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा WP(S)-2725/2015, मजहर बैठा बनाम राज्य एवं अन्य में दिनांक 15 मई, 2018 को पारित न्यायादेश में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Civil Appeal No.11527/2014, पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम रफीक मसीह (सफेदी करने वाला) आदि के मामले में दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 को न्यायादेश के आलोक में परिपत्र निर्गत किये जाने का निदेश है। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा WP(S)-2725/2015 मजहर बैठा बनाम राज्य एवं अन्य में दिनांक 15 मई, 2018 को पारित न्यायादेश का Operative Part निम्नवत् है:-

Apparently, the respondents have acted contrary to the State's own litigation policy and flouted the law of the land as declared by the Supreme Court. The respondents have made themselves liable to the pay cost. In the aforesaid facts, before a final decision is taken in the matter, the Secretary, Building Construction Department, Government of Jharkhand is directed to file an affidavit indicating why guidelines/notification/circular, on recovery of payment made to an employee in excess to what he was entitled to, not issued to reduce the load of such litigations which are covered by decision of the Supreme Court.

5. उपरोक्त के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जहाँ त्रुटिवश किसी कर्मचारी को उनकी हकदारी से अधिक वेतन/भत्ता/अन्य पावने का भुगतान कर दिया गया हो तथा ऐसा भुगतान पाने में संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी की कोई सहभागिता नहीं हो अथवा उनके द्वारा किसी Fraud or Misrepresentation का सहारा नहीं लिया गया हो, तो ऐसी परिस्थिति में निम्नांकित मामलों में भुगतान की गई अधिक राशि की वसूली नहीं की जा सकेगी:-

(i) वर्ग 03 एवं 04 (या वर्ग-'ग' एवं 'घ') के सरकारी सेवकों से Recovery from employees belonging to Class III and Class IV service (or Group 'C' and Group 'D' service).

(ii) सेवानिवृत सरकारी सेवक अथवा एक वर्ष के अन्दर सेवानिवृत होने वाले सरकारी सेवक से (Recovery from retried employees, or employees who are due to retire within one year of order of recovery)

(iii) उन सरकारी सेवकों से जिन्हें पाँच वर्ष की अधिक अवधि के लिए भुगतान कर दिया गया हो (Recovery from employees. when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued)

(iv) वैसे मामलों में जहाँ सरकारी सेवक को त्रुटिपूर्वक उच्चतर पद पर कार्य प्रभार देकर उक्त पद के अनुरूप भुगतान कर दिया गया हो, यद्यपि वह निम्नतर पद पर कार्य करने का हकदार था (Recovery in case where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post and has been paid accordingly, even though he should rightfully been required to work against an inferior post);

(v) अन्य ऐसे ही मामलों में, जहाँ न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि नियोक्ता के वसूली के अधिकार के पालन में सरकारी सेवक से की जानी वाली वसूली समान अधिशेष से कही अधिक अन्यायपूर्ण या कठोर या एकपक्षीय हो (In any other case, where the Court arrives at the conclusion that recovery if made from the employee, would be iniquitous or harsh or arbitrary to such an extent as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover).

6. वसूली नहीं करने वाले मामलों की अनुशंसा निम्नरूपेण एक त्रिसदस्यीय विभागीय समिति द्वारा की जा सकेगी:-

(क) विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव - अध्यक्ष

(ख) आंतरिक वित्तीय सलाहकार - सदस्य

(ग) योजना-सह-वित्त विभाग के प्रतिनिधि - सदस्य

समिति की अनुशंसा पर विभागीय मंत्री का भी अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

6. मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 23 अक्टूबर, 2018 की बैठक के मद संख्या 08 के रूप में इसपर स्वीकृति प्रदान की गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुखदेव सिंह,
सरकार के अपर मुख्य सचिव,
योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 29 -- 50